

**प्ररूप 1—जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग अथवा वाणिज्यिक उपयोग के लिए  
जैव सर्वेक्षण अथवा जैव उपयोगिता हेतु जैव संसाधनों तक पहुँच तथा लाभ प्रभाजन  
हेतु अनुबंध**

(2 वर्ष हेतु वित्तीय वर्ष ..... एवं .....)

{जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) (जो इसमें इसके पश्चात “अधिनियम” के नाम से निर्दिष्ट है) जैवविविधता नियम, 2004 (जो इसमें इसके पश्चात “केन्द्रीय नियम” के नाम से निर्दिष्ट है)। मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता नियम, 2004 (जो इसमें इसके पश्चात “मध्यप्रदेश नियम” के नाम से निर्दिष्ट है) और जैविक संसाधनों तक पहुँच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम, 2014 (जो इसमें इसके पश्चात “दिशा निर्देश 2014” के नाम से निर्दिष्ट है) के अंतर्गत}

यह अनुबंध आज दिनांक ..... को निम्नलिखित के मध्य .....  
..... (मध्यप्रदेश) में निष्पादित किया गया—

**किसी व्यक्ति की दशा में—**

(....., जो कि भारत के नागरिक है,  
निवासी .....  
.....(जो इसमें इसके पश्चात “आवेदक” के  
नाम से निर्दिष्ट है), अथवा कोई प्राधिकृत व्यक्ति। (परिशिष्ट-1)

**अथवा**

**किसी निगमित निकाय, संगम, संगठन की दशा में—**

..... जिसका भारत में  
पंजीयन/निगमित कार्यालय .....  
..... जिला— .....में है, द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (.....  
.....) जिसे कि आवेदक द्वारा यह अनुबंध निष्पादित  
करने हेतु विधिवत प्राधिकृत किया गया है। (परिशिष्ट-1)

**तथा**

मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड (जो इसमें इसके पश्चात म.प्र.जै.वि.बो. के नाम से निर्दिष्ट है) जो कि अधिनियम की धारा-22 की उपधारा (3) के अंतर्गत एक निगमित निकाय है तथा जिसका मुख्यालय 26, किसान भवन, प्रथम तल, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)-462011 है, जिसके अंतर्गत सदस्य सचिव द्वारा हस्ताक्षर एवं प्रतिनिधित्व करने के लिये श्री/सुश्री/श्रीमति ..... पदेन सहायक सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, क्षेत्रीय वनमण्डल ..... को प्राधिकृत किया गया है। (मध्यप्रदेश नियम के नियम-17 के उपनियम (4) के अधीन अनुबंध के क्रियान्वयन के लिए प्राधिकृत)

इसमें इसके पश्चात आवेदक एवं बोर्ड संयुक्त रूप से “पक्षकारगण” तथा किसी व्यक्ति के संदर्भ में “पक्षकार” के नाम से निर्दिष्ट होंगे।

यतः “बोर्ड” को इसमें उपवर्णित प्रयोजनों हेतु अनुमोदन प्रदान करने तथा जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग तथा सहयुक्त ज्ञान एवं प्रथाओं से उद्भूत लाभों के ऋजु एवं साम्यपूर्ण बंटवारे के लिये नियम एवं शर्त सुनिश्चित करने के लिए विधिवत प्राधिकृत किया गया है;

और यतः आवेदक के द्वारा “मध्यप्रदेश नियम” के नियम-17 के उपनियम (1) के अधीन परिशिष्ट-3 में यथा अपेक्षित जानकारी के साथ जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग हेतु जैव संसाधनों तथा उनसे संबंधित ज्ञान तथा पहुँच/उनका संग्रहण करने के लिए अनुमति हेतु प्ररूप-1 में आवेदन प्रस्तुत किया गया है;

और यतः अधिनियम के अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश नियम एवं दिशा निर्देश, 2014 के अधीन अनुमति, पक्षकारों के मध्य सम्यक् रूप से निष्पादित लिखित अनुबंध (जो इसमें इसके पश्चात् “अनुबंध” के नाम से निर्दिष्ट है) के रूप में होगी। इस अनुबंध का निष्पादन राज्य में प्रचलित शुल्क के अनुसार गैर न्यायिक स्टाम्प पर किया जाएगा।

और तदनुसार “पक्षकारगण” के मध्य पहुँच तथा फायदा बंटाने हेतु यह अनुबंध निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों के अधीन रहते हुए मान्य होगा, अर्थात्—‘पक्षकारगण’ एतद्द्वारा निम्नानुसार सहमत हैं:—

### 1. परिभाषा –

इस अनुबंध के प्रयोजन के लिए प्रभावी दिनांक से वह दिनांक अभिप्रेत है जिसको कि दोनों पक्षकार अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। उस दशा में जब कि पक्षकार अलग-अलग दिनाकों को हस्ताक्षर करते हैं, तो अनुबंध उस दिनांक से प्रभावी होगा जिसको कि बोर्ड, द्वारा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाएं।

### 2. अनुबंध का आशय –

इस अनुबंध का आशय जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग के लिए पहुँच अथवा वाणिज्यिक उपयोग हेतु जैव सर्वेक्षण एवं जैव उपयोगिता की पहुँच को अनुमति देते हुए लाभ प्रभाजन सुनिश्चित करना है। बोर्ड द्वारा इस अनुबंध की कंडिका-4 के अंतर्गत जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग हेतु पहुँच को अनुमति प्रदान करते हुए लाभ प्रभाजन का निर्धारण किया जाएगा जो कि इस अनुबंध के रूप में बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी एवं आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। यह अनुबंध मुख्य रूप से जैवविविधता के संरक्षण एवं संवहनीय उपयोग में योगदान तथा जैव संसाधनों की पहुँच से उद्भूत लाभों का साम्यापूर्ण प्रभाजन निश्चित करता है।

### 3. अनुबंध के नियम एवं शर्तें –

#### 3.1. क्षेत्र एवं विस्तार –

यह अनुमति उस सीमा तक तथा उस प्रयोजन तक ही सीमित होगी जिस पर कि सहमति हुई है।

#### 3.2. अवधि –

##### 3.2.1 अनुबंध की अवधि –

यह अनुबंध, अनुबंध की प्रभावी दिनांक से एक वित्तीय वर्ष अर्थात् 1 अप्रैल से 31 मार्च तक लागू रहेगा परन्तु किसी भी दशा में अनुबंध की अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

### 3.2.2 पहुँच/संग्रहण की अवधि –

आवेदक को अनुमति दिए गए यथावर्णित जैव संसाधनों तक पहुँच/संग्रहण की अनुमति माह ..... से ..... (दो वित्तीय वर्षों) तक होगी।

### 3.2.3 पहुँच एवं संग्रहण की मात्रा –

आवेदक को जैव संसाधनों तक पहुँच के संदर्भ में बोर्ड द्वारा निश्चित की गई मात्रा एवं गुणवत्ता के मानकों का पालन करना होगा।

### 3.3. पहुँच/संग्रहण का प्रयोजन –

आवेदक द्वारा पहुँच/संग्रहण का घोषित (जैव संसाधनों का आशयित उपयोग) प्रयोजन जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग के अंत तक वही रहेगा जैसा कि इस अनुबंध में घोषित किया गया हो।

### 3.4. पहुँच/संग्रहण का तरीका –

अनुबंध के अस्तित्व में रहने की अवधि के दौरान लाभ प्रभाजन का तरीका वही रहेगा अथवा जैसा कि बोर्ड द्वारा विनिश्चित किया जाए।

**3.4.1** उपरोक्त बात के होते हुए भी यह लाभ प्रभाजन अनुबंध तब तक लागू रहेगा जब तक कि आवेदक द्वारा इस अनुबंध में यथाअपेक्षित बाध्यताओं की पूर्ति नहीं कर दी जाती।

तथापि, लाभ प्रभाजन बाध्यताओं की बाबत, आवेदक, जब तक कि वह जैव संसाधनों की अनुमति प्राप्त मात्रा के उपयोग से आर्थिक लाभ प्राप्त करता रहेगा, इस अनुबंध के खण्ड 8 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार लाभ प्रभाजित करेगा।

## 4. अनुमति का प्रदान किया जाना –

**4.1** बोर्ड, एतद्वारा, इस अनुबंध में वर्णित अन्य निबन्धनों और शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए व्यावसायिक उपयोग हेतु जैव संसाधनों की पहुँच और/अथवा सहयुक्त ज्ञान अथवा व्यावसायिक उद्देश्य हेतु जैव सर्वेक्षण एवं जैव उपयोगिता हेतु अनुमति प्रदान करता है। यह अनुमति बोर्ड द्वारा जैव संसाधनों की अनुमानित उपलब्धता के आधार पर तथा बोर्ड को इस बारे में यह आश्वस्त हो जाने के पश्चात ही दी जाएगी कि उल्लेखित जैव संसाधनों तक पहुँच अथवा संग्रहण अनुमोदित मात्रा तक ही किया जाएगा।

**4.2** बोर्ड द्वारा वर्षाकाल की अवधि को अनुमति की अवधि से उपवर्जित रखा जा सकेगा तथा इस दौरान जैव संसाधनों की पहुँच/संग्रहण पर रोक लगाई जा सकेगी।

## 5. आवेदक के दायित्व –

**5.1** आवेदक इस अनुबंध की उचित और साम्यापूर्ण लाभ प्रभाजन से संबंधित कंडिका-8 में यथावर्णित लाभ बंटाएगा।

**5.2** आवेदक, ऐसी किसी राशि का, यदि कोई हो, भी भुगतान करेगा जो कि जैव विविधता प्रबंधन समिति/समितियों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में जैव संसाधनों की

अनुमोदित मात्रा तक पहुँच अथवा संग्रहण के लिए आरोपित की गई हो। यह राशि आवेदक द्वारा देय लाभ प्रभाजन की राशि के अतिरिक्त होगी।

- 5.3 आवेदक को प्रदान की गई अनुमति केवल उस प्रयोजन तक ही सीमित रहेगी जिसके लिए बोर्ड, द्वारा ऐसी अनुमति प्रदान की गई है। आवेदक को, उन समस्त क्रियाकलापों के लिए जिनमें कि बोर्ड की अनुमति आवश्यक हो, पृथक से आवेदन करना होगा।
- 5.4 जैव संसाधनों से संबंधित कोई ऐसा क्रियाकलाप अथवा उनका उपयोग जो कि इस अनुबंध के उपबंधों द्वारा अभिव्यक्त रूप से प्राधिकृत न हो, अभिव्यक्त रूप से तब तक प्रतिषिद्ध समझा जाएगा जब तक कि ऐसे क्रियाकलाप अथवा उपयोग को अधिनियम के प्रावधानों से छूट प्राप्त न हो।
- 5.5 आवेदक इस बात पर सहमत है कि इस अनुबंध से इसके पक्षकारों के मध्य किसी भी रूप में अथवा किसी भी प्रयोजन के लिए कोई भागीदारी, संयुक्त उद्यम अथवा संयुक्त उपक्रम गठित नहीं होगा अथवा गठित नहीं माना जाएगा अथवा उन्हें भागीदारों अथवा एक दूसरे के अभिकर्ताओं के रूप में दायित्वाधीन नहीं बनाएगा। पक्षकारों के मध्य संबंध एक व्यक्ति/कम्पनी तथा एक वैधानिक प्राधिकरण का होगा अर्थात् बोर्ड जैव संसाधनों तक पहुँच को स्वीकृत/अस्वीकृत करने के लिए सक्षम होगा।
- 5.6 आवेदक यह वचन देता है कि वह अपने द्वारा प्राधिकृत कर्मचारी (जिसके पास सत्यापित पहचान प्रमाण पत्र हो) से भिन्न किसी भी व्यक्ति को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण के सिवाय जैव संसाधनों तक पहुँच के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा।
- 5.7 इस अनुबंध के अधीन दिए गए अनुमोदन; उन अनुमोदनों/अनुमतियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे जिन्हें कि आवेदक द्वारा जैव संसाधनों तक पहुँच के लिए किन्हीं अन्य प्राधिकारियों से लिया जाना आवश्यक हो। उस दशा में जहां कि आवेदक (परिशिष्ट-2) में वर्णित से भिन्न जैव संसाधनों तक बोर्ड का अनुमोदन/अनुमति अभिप्राप्त किए बिना पहुंचता है/उनका संग्रहण करता है, तो यह इस अनुबंध का सारवान् भंग समझा जाएगा।
- 5.8 आवेदक के शेयर होल्डिंग अथवा प्रबंधन से सम्बंधित कोई/ऐसा सारवान् परिवर्तन होने की दशा में, जिससे आवेदक के नियंत्रण के स्वरूप में परिवर्तन होता हो जिसमें व्यापारिक इकाइयों का अंतरण, अधिग्रहण, विलयन, संविलयन अथवा किसी अन्य प्रकार की कार्पोरेट पुर्नसंरचना सम्मिलित है, म.प्र.जै.वि.बो. को तत्काल सूचित करेगा तथा अन्य समस्त संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।  
जहां आवेदक कोई ऐसा निगमित निकाय, संगम अथवा संगठन बनाता है जो अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अंतर्गत आता है तो वह म.प्र.जै.वि.बो. को साथ ही राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण को तत्काल उसकी सूचना देगा तथा अन्य समस्त संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।
- 5.9 आवेदक, उन जैव संसाधनों की मात्रा तथा गुणवत्ता की विशिष्टियों के संबंध में, जिन तक वह पहुँच चाहता है, म.प्र.जै.वि.बो. द्वारा निर्धारित सीमा का पालन करेगा। उस दशा में जहां कि अनुबंध में वर्णित सीमा से अधिक जैव संसाधन प्राप्त किए जाते हैं अथवा जैव संसाधन के उस क्रय मूल्य में परिवर्तन होता है जिसके आधार पर लाभ प्रभाजन की गणना की गई है, तो वित्त वर्ष के अन्त

में वास्तविक राशि के आधार पर लाभ प्रभाजन की राशि की पुनः गणना की जाएगी तथा अन्तर की राशि जमा की जाएगी।

- 5.10** आवेदक, पर्यावरण को प्रभावित करने वाले संग्रहण संबंधी समस्त क्रियाकलापों को कम से कम करने के लिए समस्त प्रयास करेगा तथा पोषणीय दोहन के गैर विनाशकारी तरीकों को सुनिश्चित करेगा।
- 5.11** इस अनुबंध की किसी शर्त का भंग होने की दशा में आवेदक अधिनियम की धारा— 56 व 57 तथा अन्य भारतीय विधायनों में दी अन्य समस्त सुसंगत धाराओं के अधीन दण्डित किए जाने का दायी होगा तथा म.प्र.जै.वि.बो. तथा लाभ का दावा करने वालों को उपगत नुकसान के अनुरूप प्रतिकर का, जैसा कि समुचित फोरम द्वारा विनिश्चित किया जाए भुगतान करने का भी उत्तरदायी होगा।
- 5.12** (केवल धनीय लाभों की दशा में लागू) आवेदक ऐसे समस्त सुसंगत दस्तावेज/अन्य सहायक दस्तावेजों के साथ, जिनमें इलैक्ट्रॉनिक दस्तावेज भी सम्मिलित है, अपने पास रखेगा जो आवेदक द्वारा यथास्थिति म.प्र.जै.वि.बो. अथवा संबंधित लाभ का दावा करने वाले संबंधित के साथ शेयर किए गए धनीय लाभों की साक्ष्य की पूर्ति करते हों। इन्हें समय समय पर यथा विनिर्दिष्ट रूप में म.प्र.जै.वि.बो. को प्रस्तुत किया जाएगा और इन दस्तावेजों को इस अनुबंध की समाप्ति के पश्चात् कम से कम 3 वर्ष तक सुरक्षित रखना होगा।

#### **और/अथवा**

(केवल गैर धनीय लाभों की दशा में लागू)

आवेदक, अन्य सहायक दस्तावेजों के साथ ऐसे समस्त सुसंगत दस्तावेज जिनमें इलैक्ट्रॉनिक दस्तावेज भी सम्मिलित है, अपने पास रखेगा जो आवेदक द्वारा यथास्थिति म.प्र.जै.वि.बो. अथवा संबंधित लाभ का दावा करने वालों के साथ शेयर किए गए गैर धनीय लाभों की साक्ष्य की पूर्ति करते हों, इनमें दस्तावेज, फोटोग्राफ, लाभ का दावा करने वालों के कथन, समाचार लेख इत्यादि सम्मिलित हैं। इन्हें समय समय पर यथाविनिर्दिष्ट रूप में म.प्र.जै.वि.बो. को प्रस्तुत किया जाएगा और इन दस्तावेजों को इस अनुबंध की समाप्ति के पश्चात् कम से कम 3 वर्ष तक सुरक्षित रखा जाएगा।

- 5.13** आवेदक, जब कभी भी यह अपेक्षित किया जाए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने गोदाम के निरीक्षण के लिए एतद्द्वारा सहमति प्रदान करता है।
- 5.14** म.प्र.जै.वि.बो. को इस अनुबंध के अधीन अनुमोदित क्रियाकलापों को स्वयं अथवा किसी समुचित एजेंसी के द्वारा, जैसा कि वह उचित समझे, विनियमित करने तथा निगरानी करने की शक्ति होगी।

#### **6. तृतीय पक्षकार को अथवा विधि के प्रवर्तन द्वारा हस्तांतरण –**

इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त अधिकार तथा दिए गए अनुमोदन अनंतरणीय तथा गैर हस्तांतरणीय होंगे।

#### **7. प्रस्थिति प्रतिवेदन –**

- 7.1** आवेदक प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के जून माह के म.प्र.जै.वि.बो. द्वारा यथा विहित प्रारूप में **(परिशिष्ट-3)** एक परिस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। तथापि, यदि

आवेदक इस अनुबंध को एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए करता है तो उसे क्रमशः जनवरी और जून माह में परिस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा।

**7.2** जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग और/या उससे सहयुक्त जानकारी के संबंध में नियत समय के भीतर परिस्थिति प्रतिवेदन का प्रस्तुत न किया जाना, अनुबंध का भंग माना जाएगा।

## **8. उचित और साम्यापूर्ण लाभ प्रभाजन –**

**8.1** आवेदक धनीय तथा गैर धनीय तरीकों से लाभ प्रभाजन करेगा।

**8.2** वार्षिक धनीय लाभ प्रभाजन किया जाना –

इस अनुबंध की कालावधि के दौरान लाभ प्रभाजन की राशि **जहा क्रेता व्यापारी है, दिशा-निर्देश 2014 के विनियम-3 के अंतर्गत** (जैव संसाधनों के क्रय मूल्य राशि के 3 प्रतिशत की दर से गणना की जावेगी। यह गणना समय समय पर बोर्ड द्वारा निश्चित दर के अधीन होगी। जिसका गणना पत्रक अनुबंध के साथ संलग्न रहेगा।

व्यापारी द्वारा अनुबंध के द्वितीय वर्ष (वित्तीय वर्ष 2019-20) हेतु जैव संसाधनों के नाम, अनुमानित मात्रा एवं मूल्य का आंकलन कर 30 दिसम्बर 2018 तक निर्धारित प्ररूप के परिशिष्ट- 1 टी इस कार्यालय में प्रेषित करना अनिवार्य होगा। प्राकलन के आधार पर निर्धारित लाभ प्रभाजन राशि (उपरोक्तानुसार निर्धारित दर से) 31 मार्च 2019 के पूर्व देना अनिवार्य होगा अन्यथा वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु अनुबंध स्वतः निरस्त माना जावेगा।

आवेदक वित्तीय वर्ष 2018-19 की समाप्ति पर जैव संसाधनों के संग्रहण का वास्तविक वार्षिक विवरण प्ररूप परिशिष्ट-3 में (प्रमाणित दस्तावेजों सहित) बोर्ड कार्यालय में 30 दिसम्बर 2019 तक प्रस्तुत करेगा। जिसके आधार पर अंतिम लाभ प्रभाजन राशि विनिश्चित की जायेगी। जिसका समायोजन 31 मार्च 2020 के पूर्व किया जावेगा। तदोपरांत आगामी वित्तीय वर्ष के लिये उक्त प्रक्रिया दोहराई जायेगी।

अन्यथा वर्ष 2019-20 हेतु अनुबंध स्वतः निरस्त माना जायेगा।

**8.3** आवेदक द्वारा बोर्ड को अनुबंध के प्रथम वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु लाभ प्रभाजन के मद्दे आंकलित मूल्य की सम्पूर्ण राशि (उपरोक्त अनुसार) का अनुबंध हस्ताक्षरित किए जाने वाले दिनांक को "सदस्य सचिव, म.प्र.जै.वि.बो.," भोपाल के नाम से देय बैंक ड्राफ्ट/चैक (रूपये राशि ..... ) (..... मात्र), डिमांड ड्राफ्ट/चैक नं. "....." दिनांक ..... बैंक व शाखा का नाम (.....) के माध्यम से अग्रिम भुगतान किया गया है। म.प्र.जै.वि.बो. लाभ प्रभाजन की सम्पूर्ण राशि बोर्ड के पास जमा हो जाने पर ही अनुबंध की हस्ताक्षरित प्रति सौंपेगा।

वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु लाभ प्रभाजन की राशि जमा सुनिश्चित होने पश्चात प्रथक से प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा जो अनुबंध का भाग माना जायेगा।

**8.4** आवेदक वित्तीय वर्ष ..... से ..... के लिये जैवसंसाधनों के वास्तविक उपयोग का शपथ पत्र (परिशिष्ट-4) पर बताने को सहमत है। इस प्रकटीकरण के आधार पर लाभ प्रभाजन की राशि आंकी जाएगी।

उस दशा में जहां कि, अनुबंध एक से अधिक वर्ष के लिए किया गया हो तो अंतर लाभ प्रभाजन राशि म.प्र.जै.वि.बो. को क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय वर्ष के पूर्व जमा करेगा। जैव संसाधनों के वास्तविक उपयोग की मात्रा के आधार पर आवेदक द्वारा भुगतान की गई लाभ प्रभाजन की राशि का पुनः विभाजन किया जाएगा।

- 8.5 यदि जैव संसाधन की खेती की जा रही है तो आवेदक द्वारा जैव संसाधन उगाने वाले का जिससे वह प्राप्त किया जा रहा है, अभिलेख रखा जाएगा।

## 9. लिखित सूचना –

- 9.1 इस अनुबंध के अधीन कोई भी संसूचना जिसके अंतर्गत सूचनाओं की तामीली भी सम्मिलित है, लिखित में होगी और अभिस्वीकृति देय रजिस्टर्ड डाक द्वारा संसूचित की जाएगी। अथवा नीचे वर्णित पते पर ई-मेल अथवा फ़ैक्स द्वारा संसूचित किए जाएंगे।

यदि म.प्र.जै.वि.बो. को संसूचित किया जाना है –

सदस्य सचिव, मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, 26 किसान भवन, प्रथम तल, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) 462011, भारत [mpsbb@mp.gov.in](mailto:mpsbb@mp.gov.in)

सूचना दे दी गई समझी जाएगी, यदि

क. यदि हाथों हाथ देकर पावती प्राप्त की गई हो।

ख. यदि इलैक्ट्रॉनिक संप्रेषण से भेजी गई हो तो संप्रेषण के 48 घण्टे बाद जिसमें साप्ताहिक व सार्वजनिक अवकाश गणना में नहीं लिए जाएंगे।

- 9.2 सूचना दे दी गई समझी जाएगी यदि वह भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 तथा संबंधित भारतीय विद्यानों के अनुसार दी गई है।

- 9.3 यदि किसी पक्षकार का पता/ई-मेल पता/ फ़ैक्स परिवर्तित होता है तो दूसरे पक्षकार को इस परिवर्तन से लिखित सम्प्रेषण द्वारा सूचित किया जाएगा।

## 10. भंग होने की दशा में शास्ति अधिरोपित करने की प्रक्रिया –

- 10.1 यदि म.प्र.जै.वि.बो. के पास इस आशय की प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि आवेदक ने इस अनुबंध की कोई शर्त भंग की है तो वह व्यतिक्रम अथवा भंग के व्योरे संसूचित करते हुए आवेदक को लिखित सूचना भेजेगा।

- 10.2 आवेदक सूचना प्राप्ति से 7 दिन के भीतर क्षेत्रीय वनमण्डल ..... या म.प्र. जै.वि.बो., भोपाल को लिखित में उत्तर देगा।

- 10.3 आवेदक से ऐसा स्पष्टीकरण प्राप्त से जाने पर क्षेत्रीय वनमण्डल ..... या म.प्र.जै.वि.बो. भोपाल, उस पर विचार करेगा और यह विनिश्चित करेगा कि आवेदक द्वारा अनुबंध का कोई भंग किया गया है अथवा नहीं।

यदि नोटिस जारी किए जाने से तीस दिन के भीतर क्षेत्रीय वनमण्डल ..... या म.प्र.जै.वि.बो. भोपाल को आवेदक से स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो म.प्र.जै.वि.बो. मामले में एक पक्षीय आदेश पारित कर सकेगा।

- 10.4** एक पक्षीय आदेश की दशा में म.प्र.जै.वि.बो. को अधिनियम की धारा-53 के अधीन अमल करने लायक कोई आदेश जारी करने की शक्ति होगी जिसमें धारा-55 की उपधारा(2), 56 एवम् 57 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति सम्मिलित है। इस आदेश के अतिरिक्त आवेदक म.प्र.जै.वि.बो. अथवा लाभ का दावा करने वालों को हुए नुकसान के समानुपातिक ऐसे प्रतिकर का भी भुगतान करेगा जो कि समुचित फोरम द्वारा विनिश्चित किया जाए।
- 10.5** उपरोक्त खण्डों के अधीन म.प्र.जै.वि.बो. द्वारा अधिरोपित की गई शक्तियाँ, इस अनुबंध के अधीन किन्हीं अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बोर्ड द्वारा पारित निर्देशों अथवा आदेशों के अनुपालन में शोद्ध किसी धनीय लाभ की वसूली के अतिरिक्त होगी।

## 11. समाप्ति और प्रतिसंहरण –

- 11.1** बोर्ड की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी भी अवस्था में न तो यह अनुबंध और न इसके अधीन प्रदान की गई अनुमतियाँ आवेदक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को पूर्णतः अथवा अंशतः स्वेच्छा से अथवा अनिच्छा से आवेदक की ओर से अथवा अन्यथा किसी कार्य अथवा लोप द्वारा हस्तांतरित/उपप्रत्यायोजित नहीं की जाएंगी अथवा सौंपी नहीं जाएंगी। आवेदक द्वारा किसी ऐसे हस्तांतरण अथवा समनुदेशन के सम्बंध में बोर्ड से पूर्व लिखित अनुमति अभिप्राप्त करने में असफल रहना इस अनुबंध का तात्त्विक भंग समझा जाएगा और जिसके परिणाम स्वरूप अधिनियम के उल्लंघन के लिए आवेदक के विरुद्ध की जा सकने वाली किन्हीं अन्य कार्यवाहियों के साथ ही निर्देशों के उल्लंघन के संबंध में अधिनियम की धारा-56 के उपबंधों की लागू किए जाने के अतिरिक्त बिना सूचना दिए अनुबंध तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा।
- 11.2** यह अनुबंध केवल आवेदक के लिए व्यक्तिगत है तथा व्यावसायिक इकाई के हस्तांतरण, विलयन अथवा संविलियन या किसी भी अन्य प्रकार के कार्पोरेट पुनर्संरचना की दशा में अनुबंध समाप्त माना जाएगा।
- 11.3** म.प्र.जै.वि.बो., निम्नलिखित में से किसी भी दशा में लिखित सूचना देकर अनुबंध समाप्त कर सकेगा –
- क.** यदि आवेदक दिवालिया हो गया और/या दिवालिया घोषित कर दिया गया हो अथवा जिसे कम्पनी अधिनियम के उपबंधों के अधीन सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा व्यवसाय बंद करने का आदेश दिया गया हो। म.प्र.जै.वि.बो. द्वारा आवेदक को लिखित सूचना देने पर अनुबंध की समाप्ति तत्काल प्रभावी हो जाएगी।
- ख.** म.प्र.जै.वि.बो. मध्यप्रदेश नियम के नियम 18 के उप नियम (1) में वर्णित किन्हीं परिस्थितियों में, आवेदक को प्रदान की गई पहुँच/अनुमोदन को प्रतिसंहत कर सकेगा यदि किसी शिकायत के आधार पर अथवा स्वप्रेरणा पर यह समाधान हो जाता है कि—
- (एक)** उक्त जैव संसाधन तक पहुँच बनाने वाले आवेदक ने अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का अथवा उस शर्त का, जिसके आधार पर आवेदन स्वीकृत किया गया था, उल्लंघन किया है।



(दो) आवेदक अनुबंध के निबंधनों का अनुपालन करने में असफल रहा है।

(तीन) आवेदक पहुँच की किसी भी शर्त का अनुपालन करने में असफल रहा है।

(चार) पर्यावरण संरक्षण तथा जैव विविधता संरक्षण, अधिकारों के संरक्षण, आजीविका एवं स्थानीय समुदायों के ज्ञान के संदर्भ में लोकहित का उल्लंघन किया है।

**11.4** म.प्र.जै.वि.बो., जैव संसाधनों तक पहुँच से संबंधित क्रियाकलापों को मध्यप्रदेश नियम के नियम 19 के उपनियम (1) में वर्णित कारणों से निर्बंधित या प्रतिषिद्ध कर सकेगा—

(एक) पहुँच के लिए अनुरोध किसी संकटग्रस्त प्रजाति के लिए हो अथवा उस प्रजाति के लिए हो जो इस तरह की पहुँच से संकटग्रस्त हो सकती हो।

(दो) पहुँच के लिए अनुरोध किसी स्थानिक अथवा दुर्लभ प्रजाति के लिए हो।

(तीन) पहुँच के लिए अनुरोध का स्थानीयजनों की जीविका, संस्कृति अथवा ज्ञान पर विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो।

(चार) पहुँच के लिए अनुरोध का विपरीत पर्यावरणीय प्रभाव हो जिसे नियंत्रित एवं कम करना कठिन है।

(पांच) पहुँच के लिए अनुरोध से अनुवांशिक क्षरण होता हो अथवा पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव होता हो।

(छह) राष्ट्रीय हित तथा देश द्वारा किये गए अन्य संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों के विपरीत उद्देश्य के लिए संसाधनों का प्रयोग।

**11.5** इस अनुबंध के अस्तित्व में रहने के दौरान आवेदक को, म.प्र.जै.वि.बो. को सूचना के रूप में विधिपूर्ण कारण दर्शाते हुए सूचना भेज कर अनुबंध समाप्त करने का विकल्प होगा। उक्त सूचना प्राप्त होने पर यह बोर्ड के विवेक पर निर्भर करेगा कि आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए कारण उसे स्वीकार्य है अथवा नहीं। अनुबंध समाप्त किए जाने की दशा में, इस विषयक निर्णय लिए जाने के 7 दिन के भीतर बोर्ड आवेदक को सूचित करेगा।

**11.6** इस अनुबंध की समाप्ति पर आवेदक —

जैव संसाधनों और/या उससे सहयुक्त ज्ञान का समस्त उपयोग तत्काल बन्द कर देगा।

समस्त शोध अधिशेष राशियों का जिनमें लाभ प्रभाजन राशि भी सम्मिलित है, का भुगतान करेगा और भुगतानों के संबंध में परिस्थिति प्रतिवेदन 15 दिन में प्रस्तुत करेगा।

**11.7** म.प्र.जै.वि.बो. पहुँच की अनुमति और/या इस खण्ड में विनिर्दिष्ट किसी भी आधार पर अनुबंध की समाप्ति से आवेदक को हुई किसी भी क्षति या

नुकसानों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। अनुबंध की समाप्ति पर आवेदक बोर्ड को तत्काल अंतिम परिस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तथा समस्त बकाया देय राशियों का भुगतान करने के लिए दायित्वाधीन होगा।

## 12. दायित्व और क्षतिपूर्ति –

- 12.1 म.प्र.जै.वि.बो. पहुँच की अनुमति और/या किसी भी आधार पर इस अनुबंध की समाप्ति से आवेदक को हुई किसी भी क्षति या नुकसानी के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।
- 12.2 आवेदक, अनुबंध के क्रियान्वयन में किसी कार्य या लोप के लिए तृतीय पक्षकार द्वारा उद्भूत दावों के प्रति व्यक्तिगत रूप से (एक से अधिक आवेदकों की दशा में संयुक्त रूप से और पृथक-पृथक) दायित्वाधीन होंगे और किसी भी परिस्थिति में बोर्ड उक्त के संबंध में दायित्वाधीन नहीं होगा।
- 12.3 आवेदक इस अनुबंध के खण्ड-9 के उल्लंघन की दशा में ऐसी राशि का, जो कि म.प्र.जै.वि.बो. द्वारा अवधारित की जाए, भुगतान करेगा जो कि म.प्र. जै.वि.बो. को कारित हुई क्षति अथवा लाभहित ग्राहियों को हुई क्षति के अनुरूप क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त होगी, जैसा कि समुचित फोरम द्वारा विनिश्चित किया जाए।
- 12.4 आवेदक, म.प्र.जै.वि.बो. और उसके समस्त कर्मचारियों, सदस्यों और अधिकारियों को, उन समस्त दावों, मांगों, हानियों, नुकसानों, व्ययों (जिसमें अर्टानी की फीस सम्मिलित है) कार्यवाइयों, वादों अथवा अन्य कार्यवाहियों की पूर्णतः क्षतिपूर्ति करेगा और उनसे बचाएगा। जो इस अनुबंध के उपबंधों के अथवा इस अनुबंध के प्राधिकार के अधीन अथवा उसके आधार पर हाथ में लिए गए अथवा लिए जाने के लिए तात्पर्यित क्रिया कलापों के पालन में उद्भूत हुई हो, उनसे संबंधित हो, उनके कारण उत्पन्न हुई अथवा उन पर आरोप्य हो।

## 13. गोपनीयता –

पूर्व सूचना के रूप में दी गई कोई भी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी किन्तु ऐसी गोपनीय जानकारी क्षेत्रीय वनमण्डल ..... या म.प्र.जै.वि.बो. द्वारा उस सीमा तक प्रकट की जा सकेगी जहा तक कि वह किसी विधि अथवा विनियम द्वारा अपेक्षित की जाए अथवा क्षेत्रीय वनमण्डल ..... या म.प्र.जै.वि.बो. के मत में ऐसा प्रकटन किसी आपात परिस्थिति से निपटने अथवा राष्ट्रहित या जनहित में आवश्यक हो गया हो।

## 14. शासी विधि और क्षेत्राधिकार –

- 14.1 यह अनुबंध जैव विविधता अधिनियम एवं मध्यप्रदेश जैव विविधता नियम, 2004 के प्रावधानों के अनुसार शासित होगा और उसका तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।
- 14.2 इस अनुबंध के वे अन्य समस्त पक्ष, जो कि इस अनुबंध के अंतर्गत न आते हो, सुसंगत भारतीय विधियों द्वारा शासित होंगे।
- 14.3 किसी भी विवाद की स्थिति में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

**15. पृथक्करणीयता –**

यदि इस अनुबंध का कोई भाग किसी भी कारण से विधि के किसी न्यायालय द्वारा अनुचित अथवा असंगत अथवा अवैध घोषित कर दिया जाता है अथवा ठहरा दिया जाता है तो उस भाग की कमी अथवा अवैधता शेष भाग की वैधता को प्रभावित नहीं करेगी और वह पूर्ण विधिक बल तथा प्रभाव के साथ निरन्तर बना रहेगा और उसक यह अर्थ लगाया जाएगा कि उस अवैध भाग के बिना अनुबंध का निष्पादन किया गया था।

**16. संशोधन –**

अनुबंध में कोई भी संशोधन अथवा रूपान्तरण वैध अथवा पक्षकारों पर तब तक बाध्यकारी नहीं होगा, जब तक कि उस पर पक्षकारों की लिखित सहमति न हो और उस पर प्रत्येक पक्षकार की ओर से उसके सम्यक रूप से और विधिक रूप से प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर न कर दिये गए हो और ऐसा संशोधन, अनुबंध को लागू परिस्थितियों के साथ पूरक अनुबंध के रूप में किया जाएगा।

**17. अनुबंध की सम्पूर्णता–**

यह अनुबंध पूर्व के समस्त समझौतों, सहमतियों, अभ्यावेदनों तथा जिम्मेदारियों के समापन को वैधानिक स्वरूप प्रदान करता है तथा पक्षकारों के बीच अनुबंध की विषयवस्तु से संबंधित निबन्धन व शर्तों को पूर्णतः निर्धारित करता है।

**18. परिशिष्ट तथा अनुसूचियाँ–**

**18.1** इस अनुबंध से संलग्न अनुसूचियाँ और उनके परिशिष्ट तथा वे अनुसूचियाँ जो इस अनुबंध के उपबंधों के अधीन संशोधन द्वारा बाद में जोड़ी जाए, इस अनुबंध के अविभाज्य अंग होंगी तथा सभी पक्षकारों पर बंधन कारी होंगी।

**18.2** यह अनुबंध दो प्रतियों में निष्पादित किया जाएगा। प्रत्येक प्रति मूल प्रति समझी जाएगी। एक प्रति राज्य जैवविविधता बोर्ड, द्वारा रखी जाएगी तथा दूसरी प्रति आवेदक द्वारा। दोनों ही प्रतिया एक ही लिखित समझी जाएंगी।

**19. जैव संसाधनों तक पहुँच/संग्रहण का प्रमाण पत्र –**

सभी औपचारिकताओं के पूर्ण हो जाने पर म.प्र.जै.वि.बो. आवेदक को जैव संसाधनों तक पहुँच/संग्रहण के लिए एक प्रमाण पत्र जारी करेगा। (परिशिष्ट-5)

जिनकी साक्ष्य में इस अनुबंध के पक्षकारों द्वारा उपरोक्त वर्णित दिवस, माह तथा वर्ष में यह अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया–

हस्ताक्षर  
पदेन सहायक सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश  
राज्य जैवविविधता बोर्ड  
क्षेत्रीय वनमण्डल .....

(दिनांक सहित)  
म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड की ओर से  
साक्षीगण –

1. हस्ताक्षर  
नाम  
पता
2. हस्ताक्षर  
नाम  
पता

आवेदक के हस्ताक्षर  
(दिनांक सहित)

आवेदक की ओर से साक्षीगण –

1. हस्ताक्षर  
नाम  
पता
2. हस्ताक्षर  
नाम  
पता

## परिशिष्ट

1 परिशिष्ट – 1 प्राधिकार पत्र/प्रमाण पत्र, किसी व्यक्ति की दशा में।

या

प्राधिकार पत्र/प्रमाण पत्र, निगमित निकाय, संगम तथा संगठन के मामले में।

2 परिशिष्ट – 2 प्ररूप – 1

3 परिशिष्ट – 3 म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड को आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले वार्षिक विवरण।

4 परिशिष्ट – 4 वास्तविक उपयोगिता हेतु प्रमाण पत्र।

5 परिशिष्ट – 5 वाणिज्यिक उपयोग के लिये जैविक संसाधनों की प्राप्ति का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट : 1

एक व्यक्ति की दशा में प्राधिकार पत्र/प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है मैं .....पिता श्री .....  
..... आयु लगभग ..... वर्ष निवासी .....  
..... (मध्यप्रदेश), अपनी पदीय हैसियत में इस समझौता ज्ञापन  
पर कार्यवाही करने तथा इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के संबंध में श्री .....  
..... पिता श्री ..... आयु लगभग ..... वर्ष निवासी  
..... को समस्त  
औपचारिकताओं को, जो इस अनुबंध से उद्भूत हो, पूर्ण करने के लिये एतद्द्वारा प्राधिकृत  
करता हूँ।

स्थान :-

दिनांक :-

हस्ताक्षर

प्राधिकृत व्यक्ति नाम

पदनाम

हस्ताक्षर

प्राधिकर्ता का नाम

पदनाम

(सील)

## परिशिष्ट : 1

(फर्म के प्रमाणित लेटर हेड पर)

### निगमित निकाय, संगम, अथवा संगठन की दशा में प्राधिकार पत्र/प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि .....पिता श्री .....  
....., आयु लगभग ..... वर्ष, निवासी -.....  
..... जिला - ..... (मध्यप्रदेश) को मै. ....  
..... (फर्म का नाम) की ओर से अनुबंध पर कार्यवाही, हस्ताक्षर तथा  
उन समस्त औपचारिकताओं को, जो इस अनुबंध से उद्भूत हो को पूर्ण करने के लिए  
एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता हैं।

प्राधिकृत व्यक्ति के प्रमाणित हस्ताक्षर

स्थान:-

दिनांक :

हस्ताक्षर

प्राधिकर्ता का नाम .....

पद .....

मै. ....

(फर्म का नाम)

(सील)

## परिशिष्ट – 2

### प्ररूप – 1

(व्यापारी द्वारा जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग हेतु कार्यालय में जमा किया गया प्ररूप – 1)



## परिशिष्ट : 3

### मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड को आवेदक द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरण

प्रति,

सदस्य सचिव,  
मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड,  
भोपाल म.प्र.।

विषय:—जैव संसाधन के संग्रहण का वार्षिक विवरण।

संदर्भ:—मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा जारी आदेश क्रमांक .....दिनांक .....

क्रमांक	जैव संसाधनों का नाम	जैवविविधता प्रबंधन समिति का नाम/क्षेत्र/ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत	संग्रहण बावत अनुज्ञेय मात्रा (कि. ग्रा.) में	संग्रहण की वास्वविक मात्रा (कि. ग्रा.) में	अधिक/कम अनुमति आदेश क्रं. का वर्णन	बोर्ड द्वारा अनुमति ओदश क्रं. एवं दिनांक	जैव संसाधन का क्रय मूल्य/वार्षिक कुल कारखाना पूर्व विक्रय	म.प्र.रा.जै.वि. बोर्ड को पहुँच एवं लाभ प्रभाजन की भुगतान रकम	जैवविविधता प्रबंधन समिति को प्रदाय संग्रहण शुल्क यदि हो	टि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

दिनांक :-

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम.....

पता .....

मोबाईल नम्बर .....

## परिशिष्ट : 4

### वास्तविक उपयोगिता हेतु शपथ-पत्र

मैं, .....,  
आयु लगभग ..... वर्ष, निवासी-.....  
..... जिला- ..... (मध्यप्रदेश), शपथपूर्वक निम्न कथन करता हूँ  
कि:-

1. यह कि वित्तीय-वर्ष 2017-18 में मेरे या मेरी कम्पनी/फर्म द्वारा वाणिज्यिक उपयोग हेतु जैव संसाधन मध्य प्रदेश राज्य से प्राप्त किये जा रहे हैं।
2. यह कि हमारे द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत प्ररूप-1 में वर्णित जैव संसाधनों के वास्तविक उपयोग का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है।
3. यह कि मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड को दिनांक ..... को प्रस्तुत प्रतिवेदन (जो कि प्ररूप-1 में परिशिष्ट है) के अंतर्गत सभी आवश्यक जानकारी है।
4. यह कि हम इसके अतिरिक्त वचन देते हैं कि, समय-समय पर हमारी कम्पनी/फर्म द्वारा अधिनियम की धारा-7 के उपबंधों के अधीन पूर्व सूचना दी जाएगी और आगामी प्रक्रम में आपसी अनुबंध अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

अतः मैं घोषणा करता हूँ कि, मैं अधिनियम के उपबंधों, दिशा निर्देशों एवं अन्य संबंधित विधानों से उत्पन्न अधिकार एवं दायित्वों की पूर्ति हेतु दायित्वाधीन रहूँगा।

स्थान:-

दिनांक :

.....

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

## परिशिष्ट : 5

### वाणिज्यिक उपयोग के लिये जैविक संसाधनों की प्राप्ति का प्रमाण-पत्र

क्रमांक / जैवि प्रकोष्ठ / जिला ..... / 2018-19 /  
प्रति,

दिनांक

.....  
.....  
.....  
जिला - ..... (म.प्र)

विषय:-जैवविविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार व्यापारिक उद्देश्य से वनवासी/जे.एफ. एम.सी./जनजाति कृषक/ग्राम सभा व्यापारी से जैव संसाधनों की प्राप्ति बावत्।

संदर्भ:-आवेदन पत्र क्र. .... दिनांक ..... एवं आपका पंजीयन क्रमांक

**MPSBB/BABSC/जिला ...../वर्ष ...../क्रमांक .....**

आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के क्रम में, मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड एतद्वारा अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत व्यवसायिक उपयोग हेतु निम्न जैव संसाधनों को प्राप्त करने की अनुज्ञा प्रदान करता है:-

क्रमांक	जैव संसाधन का नाम	मात्रा (किलो ग्राम) में	अवधि (महीनों का नाम)	प्रस्तावित संग्रहण की भौगोलिक स्थिति
1	2	3	4	5

**कृपया निम्न शर्तों का पालन सुनिश्चित करें :-**

1. जैव संसाधनों प्राप्ति हेतु अनुज्ञा वर्णित सीमा तक लागू होगी। यदि अनुज्ञा से अधिक मात्रा में जैव संसाधन का वाणिज्यिक उपयोग किया जाता है तो इस कार्यालय को लिखित सूचना देना अनिवार्य है।
2. आवेदक म.प्र.जै.वि.बो. द्वारा अनुज्ञा प्रदान करने पर जैव संसाधनों के क्रय हेतु प्राधिकृत व्यक्ति (नाम/पता/फोटो) का विवरण जिला जैव विविधता प्रकोष्ठ, को प्रस्तुत करेगा।
3. आवेदक को संग्रहण अवधि की समाप्ति पर अनुबंध (MoU) के परिशिष्ट - 3 प्रपत्र में वर्णित जैव संसाधन की प्राप्ति संग्रहण की वस्तु स्थिति की रिपोर्ट जैव विविधता प्रकोष्ठ, में प्रस्तुत करनी होगी एवं उसकी एक प्रति संबंधित जैवविविधता प्रबंधन समिति को भी देनी होगी। जैव संसाधनों के वास्तविक उपयोग की मात्रा के आधार पर आवेदक द्वारा भुगतान की गयी लाभ

प्रभाजन की राशि का पुनः आंकलन किया जावेगा एवं अंतर की राशि सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के नाम डिमांड ड्राफ्ट से जमा की जावेगी।

4. यदि जैवविविधता प्रबंध समिति द्वारा संग्रहण शुल्क लिया जाता है तो निर्धारित दर अनुसार संग्रहण शुल्क के भुगतान उपरान्त ही आवेक को क्षेत्र में जैव संसाधनों तक पहुँच या संग्रहण की अनुमति होगी। जो कि लाभ प्रभाजन राशि के अतिरिक्त होगी।
5. वर्ष 2019-20 हेतु जैवसंसाधनों के नाम, अनुमानित मात्रा एवं मूल्य का आँकलन कर 30 दिसंबर 2018 तक जैव विविधता प्रकोष्ठ, में प्रेषित करना अनिवार्य होगा। प्राकलन के आधार पर निर्धारित लाभ प्रभाजन राशि 31 मार्च 2019 के पूर्व देना अनिवार्य होगा। अन्यथा वर्ष 2019-20 हेतु यह अनुबंध स्वतः निरस्त माना जायेगा। इस आशय की सूचना संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों को उपलब्ध कराई जावेगी।
6. मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम 2004 के नियम 18 एवं 19 के तहत यदि संबंधित व्यापारियों के द्वारा जैव संसाधनों की प्राप्ति से जैवविविधता संरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पडने अथवा संवहनीय न होने की स्थिति में अनुबंध को पुनरीक्षित अथवा निरस्त किया जावेगा।
7. यदि उपरोक्त वर्णित जैव संसाधनों में से कोई जैव संसाधन म.प्र. वन उपज (जैव विविधता का संरक्षण एवं पोषणीय कटाई) नियम 2005 के अंतर्गत वनमण्डलाधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र में निषिद्ध की जाती है तो यह अनुमति उस जैव संसाधन के संदर्भ निषिद्ध अवधि के लिए **अमान्य और शून्य (Null & void)** मानी जायेगी।

अनुबंध में वर्णित शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन पर म.प्र. राज्य जैव विविधता बोर्ड, द्वारा प्रदत्त अनुमति/अनुज्ञा को निरस्त करने के साथ-साथ अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

पदेन सहायक सदस्य सचिव,  
म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड  
क्षेत्रीय वनमण्डल .....

पृष्ठांकन क्रमांक/वनमण्डल/...../2018-19/

दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. सदस्य सचिव मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल
2. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) वनवृत्त ..... जिला .....
3. वनमण्डलाधिकारी, (क्षेत्रीय) वन मण्डल ..... जिला .....
4. वन परिक्षेत्र अधिकारी, वन परिक्षेत्र ..... जिला ..... ।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

पदेन सहायक सदस्य सचिव,  
म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड  
क्षेत्रीय वनमण्डल .....